(248)

(355)

अतिरिक्त कोर्ट फीस (म०प्र०)

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल महोदय ग्वालियर म.प्र.

- - - - - - - - - - - - -

10रु. कोर्ट फीस COURT FEE Rs.10 भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES
10रु. कोर्ट फीस COURT FEE Rs.10 भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES
विलोपित / विलोपित

R - 2471- II/12

क्रमांक 2076
रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज दिनांक 26-7-12 को प्राप्त
रजिस्ट्रार
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

1. सुब्बालाल सिंह तनय भूखन सिंह गोड़
2. रामप्रसाद सिंह पिता भूखन सिंहगोड़
3. लखपति सिंह तनय सालिक सिंह गोड़ सा. गिधेर तह0देवसर जिला. सिंगरौली म.प्र. ---------- निगरानीकर्तागण.

बनाम

1. लालबहादुर तनय भूखन सिंह गोड़ सा.गिधेर तह. देवसर, जिला. सिंगरौली म.प्र. ---------- उत्तरवादी.

अधिवक्ता श्री महेन्द्र अग्निहोत्री द्वारा प्रस्तुत/ रीवा, दि० 22/6/2012
22/6/12

निगरानी विरूद्ध न्यायालय श्रीमान् अपर कलेक्टर महो. वैढ़न-जिला. सिंगरौली श्री एन.के.जैन के द्वारा रा.प्र.क्र. 26/निगरानी/11.12 पर पारित आ.दि. 30.5.12 से व्यथित होकर ।

- - - - - - -

निगरानी आवेदन पत्र अन्तर्गत् धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं. 1959

- - - - - - -

महोदय,

निम्नांकित तथ्यो एवं आधारो पर निगरानीकर्ता गणो द्वारा यह निगरानी आवेदन प्रस्तुत है:-

" निगरानी के तथ्य "

1. यहकि मौजा गिधेर तह. देवसर , जिला. सिंगरौली म.प्र. स्थित आ.ख.क्र. पुराना 91 मे जरिए वन व्यवस्थापन के तहत अधीक्षक भू.अभिलेख परिवर्तित भूमि सीधी के रा.प्र.क्र. 5/अ.19(1)(90.91 पर पारित आ.दि. 27.6.91 के द्वारा निगरानी कर्ता व गैर निगरानी कर्ता को भूमिस्वामी अधिकार प्रदान किया गया था ।

21/6/12

2. यहकि उक्त भूमिस्वामी अधिकार के समय ही मौके से सभी भूमि. स्वामी गणो के अलग.2 इन्तजामी प्लाट क्षेत्रफल के हिसाब से तैयार कर दिया गया था , और निगरानीकर्ता व गैर= निगरानी कर्ता अपने.2 भू.खण्डो का सुधार कर काश्त कर रहे है उसी आराजी पर सभी का मकान भी बना

XXXIX(a)-BR(H)-11

(248)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक R–2471-I/12 जिला–सिंगरौली

सब्बालाल सिंह/लालबहादुर सिंह गोड़

(1)	(2)	(3)
24.04.19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री एम0के0 अग्निहोत्री उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अपर कलेक्टर, जिला सिंगरौली प्रकरण क्रमांक 26/निगरानी/2011–12 में पारित आदेश दिनांक 30.05.2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध सुनवाई आयुक्त द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त रीवा संभाग रीवा को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 15.07.19 को आयुक्त रीवा संभाग रीवा के समक्ष उपस्थित हो। (बी.एम.शर्मा), सदस्य	